(d) Due to operational and resource constraints, this new train is not feasible.

दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत हुई रेल दुर्घटनाएं

1993. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी माल गाड़ी एवं यात्री गाड़ियां दुर्घटना ग्रस्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों एवं कितनी तकनीकी खामियों की वजह से हुई हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं से जन एवं धन की प्रति वर्ष हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस रेल मार्ग के अन्तर्गत रेल का कितना लंबा पटरियों को पुरानी हो जाने के कारण बदले जाने की आवश्यकता है, तथा इनको बदले जाने के लिए की जा रही कार्यवाही ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) सूचना निम्नानुसार है:—

	1991-92	1992-93	1993-94
मालगाड़ियों की दुर्घटनाएं	65	82	85
यात्री गाड़ियों की दुर्घटनाएं	20	25	19
मानवीय चूक के कारण दुर्घटनाएं	64	81	68
उपस्कर की खराबी के कारण दुर्घटनाएं	8	10	17
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	13	54	31
रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत (करोड़ रु० में)	6.51	13.80	22.51

(घ) 1.4.1997 को 2143 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण करना शेष है। इसमें से 1429 कि०मी० रेलपथ नवीकरण के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। 1997-98 के दौरान, 1429 कि०मी० रेलपथ में से 610 कि०मी० रेलपथ के नवीकरण करने की योजना बनाई गई है। यह 1997-98 के दौरान 290 करोड़ रु० के बजट आबंटन पर आधारित है।

भोपाल-झांसी खंड में रेलवे के सामान की चोरी

1994. **श्री राघव जी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में भोपाल-झांसी के बीच स्लीपर्स, क्लेम आदि जैसे रेलवे के सामान की चोरी के मामले गत एक वर्ष के दौरान प्रकाश में आये हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चोरी के मामले में लिप्त अपराधी पकड़े गये है, यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या है तथा अब तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत वर्ष 1996 में एक प्रकरण पंजीकृत किया, जिसमें चोरी गई रेल संपत्ति कीमत रू० 70,000/- पूर्ण रूप से बरामद हुई एवं 5 बाहरी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

इस वर्ष 1997 माह जून तक तीन प्रकरण पंजीकृत किये जिनमें रु० 2,82,000/- कीमत की रेल संपत्ति चोरी गयी जिसमें से 2 प्रकरण में रु० 2,42000/- की रेलवे संपत्ति बरामद करके 8 बाहरी व्यक्ति और 5 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया व रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत जांच जारी है। रेल कर्मचारियों में से 4 को निलम्बित किया गया एवं रेल पथ निरीक्षक को विदीशा से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित है:—

बाहरी व्यक्ति

लखन, मुन्ना, सियाराम, गुलाब, कल्लू, केशव उत्तम सिंह, राजू

रेल कर्मियों के नाम

दयाराम, सुरेश चंद्र राजपूत, आर० सी० मीना, सियाराम वर्मा, बैजनाथ मिश्रा।

द्रुत-परिवहन व्यवस्था हेतु सर्वेक्षण

1995. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बडोदरा जंक्शन में मिलने वाली आठों सेक्शन की प्रत्येक रेल लाइन के संबंध में दैनिक यातायात सर्वेक्षण कर लिया गया है ताकि द्रुत परिवहन व्यवस्था को लागू किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;